कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 09.04.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–35 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

17 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तो के गिरफ्तारी अभियान में जनपद गोण्डा के विभिन्न थानों द्वारा 17 वारण्टी अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रेखा पत्नी कृष्ण कुमार नि0 पूरे ललक थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 18 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–153/21, 02. कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 मिश्री लाल नि0 पूरे ललक टेडिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–154/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. उर्मिला उर्फ सम्पता पत्नी राजमन नि0 परतिहन पुरवा पेड़ारन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–79/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.04.2021

थाना को0 देहात द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे। जिसके क्रम में थाना को0देहात ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

आज दिनांक 09.04.2021 को उ0नि0 अमर सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त बाबू पासवान पुत्र सिमरन पासवान नि0 फत्तेपुर मौजा गोगिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को नरायन मर्दन जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. बाबू पासवान पुत्र सिमरन पासवान नि0 फत्तेपुर मौजा गोगिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–155/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता–

01. उ0नि0 अमर सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.04.2021

नकली बीड़ी बनाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, भिन्न–भिन्न ब्रांड की नकली बीड़ी व बीड़ी बनाने में प्रयुक्त किये जाने वाले 02 कम्पनियों के रेपर बरामद

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए शीघ्र गिरफ्तारी करने के कड़े निर्देश दिये थे। जिसके क्रम में थाना को0 नगर ने नकली बीडी बनाने के 01 आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

आज दिनांक 09.04.2021 को थाना कोतवाली नगर के व0उ0नि0 प्रबोध कुमार मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त वीरेन्द्र जायसवाल पुत्र जगदीश प्रसाद जायसवाल नि0 मोहल्ला आनंद नगर चुंगी नाका थाना को0नगर जनपद गोण्डा को नकली बीड़ी बनाते समय कटहा घाट स्थित एक नवनिर्मित मकान से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भिन्न–भिन्न ब्रांड के 180 पैकेट नकली बीड़ी व बीड़ी बनाने में प्रयुक्त किये जाने वाले 02 कम्पनियों के रैपर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. वीरेन्द्र जायसवाल पुत्र जगदीश प्रसाद जायसवाल नि0 मोहल्ला आनंद नगर चुंगी नाका थाना को0नगर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–282/21, धारा 420 भादवि, 63/64 कॉपीराइट ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. भिन्न ब्रांड के 180 पैकेट नकली बीड़ी व बीड़ी बनाने में प्रयुक्त किये जाने वाले 02 कम्पनियों के रैपर।

गिरफ्तार कर्ता–
01. व0उ0नि0 प्रबोध कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.04.2021

थाना को0 नगर द्वारा 194 ग्राम अवैध चरस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को कड़े निर्देश दिये थे। जिसके क्रम में थाना को0 नगर ने अवैध चरस के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
आज दिनांक 09.04.2021 को थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 संजीव सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त असलम पुत्र मोहम्मद समर नि0 चांदमारी बख्शीपुरा दरगाह शरीफ जनपद बहराइच को रोडवेज के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 194 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. असलम पुत्र मोहम्मद समर नि0 चांदमारी बख्शीपुरा दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–285/21, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 194 ग्राम अवैध चरस।

गिरफ्तार कर्ता–
01. उ0नि0 संजीव सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.04.2021

थाना को0 नगर ने 140 ग्राम अवैध चरस के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे। जिसके क्रम में थाना को0 नगर ने अवैध चरस के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

आज दिनांक 09.04.2021 को थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 मनीष कुमार मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त सुनील कुमार साहू उर्फ छंगा पुत्र बसन्त साहू नि0 ग्राम भूपगंज बाजार जनपद बहराइच को बी0एस0एन0एल0 ऑफिस के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 140 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. सुनील कुमार साहू उर्फ छंगा पुत्र बसन्त साहू नि0 ग्राम भूपगंज बाजार जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–284/21, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 140 ग्राम अवैध चरस।

गिरफ्तार कर्ता–
01. उ0नि0 मनीष कुमार मय टीम।